अध्याय–7

कार्यों का उपापन एवं निष्पादन

इस अध्याय में जेजेएम के अंतर्गत उपापन और कार्य निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें निविदा प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन सम्मिलित है।

7.1 निविदाएं निरस्त करने के लगातार अविवेकपूर्ण निर्णय

7.1.1 न्यायोचित लागत निर्धारण के पहलू की उपेक्षा

वित्त विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की निविदाओं में बोलीदाता के प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु, आधार दर अनुसूची (बीएसआर) 2021 के आधार पर, टेंडर प्रीमियम (टीपी) पर अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत अधिक की सीमा निर्धारित की गई थी। विभाग ने राशि ₹ 9,810.20 करोड़ की 15 परियोजनाओं को स्वीकृत किया। पीएचईडी के राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की वित्त समिति (एफसी) द्वारा दो बार इन परियोजनाओं की निविदाओं को स्थगित किया गया था। मीडिया द्वारा 10 परियोजनाओं में निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलंब पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा ने 'परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना' का विस्तृत विश्लेषण किया गया, जो उपरोक्त 15 परियोजनाओं में से एक थी। इस परियोजना को जेजेएम के तहत बारां, झालावाड़ तथा कोटा जिलों के 1,402 गांवों[1] में 1,52,437 एफएचटीसी[2] प्रदान करने के लिए बनाया गया था। बारां जिले को जेजेएम के तहत उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आकांक्षी जिला के रूप में मान्यता दी गई थी। बारां जिले के 907 गांव, जिनमें 23,361 आदिवासी ग्रामीण परिवारों की 303 पीवीटीजी बस्तियाँ सम्मिलित हैं, को इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना था। एसएलएसएससी ने सितंबर 2021 में परियोजना के लिए राशि ₹ 3,523.16 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। उक्त परियोजना को छः (I से VI) कार्यात्मक पैकेजों में विभाजित किया गया था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने पीएचईडी की जुलाई 2021 में जारी बीएसआर 2021 के आधार पर परियोजना के पैकेज- II, III और IV की अनुमानित लागत तैयार की। इसके पश्चात, तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की गईं (अगस्त 2022-मई 2023), तथा निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 2022)। संबंधित पैकेजों के लिए निविदा में प्राप्त सबसे कम दरें (एल-1) अनुमानित लागत से 37.03 से 37.20 प्रतिशत अधिक टेंडर प्रीमियम (टीपी) पर प्राप्त हुईं। विभाग ने इन निविदा बोलियों को, राज्य निधि के माध्यम से राज्य अंश के अनुपात में अतिरिक्त देयता वहन करने के लिए, वित्त विभाग की सहमति के अधीन, अनुमोदित किया (दिसंबर 2022)।

---

[1] बारां जिले के 907 गाँव, झालावाड़ के 311 गाँव तथा कोटा के 184 गाँव।

[2] बारांः 98,873 एफएचटीसी, झालावाड़ः 29,811 एफएचटीसी तथा कोटाः 23,753 एफएचटीसी।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियमावली 2013 के नियम 65 में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि स्वीकृति के लिए अनुशंसित प्रस्ताव, क्रय की जाने वाली सामग्री, कार्यों एवं सेवाओं की प्रचलित बाजार दरों को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायोचित हों। चूंकि बीएसआर 2021 जारी होने के 13 महीने की पर्याप्त अवधि के बाद निविदाएं आमंत्रित की गई थीं एवं इसलिए, इस बीएसआर पर आधारित अनुमानों में निहित दरें, बोलीदाताओं द्वारा प्रचलित बाजार दरों के अनुसार उद्धृत दरों से बहुत कम हो सकती थी, अतः आरटीपीपी नियमावली 2013 के नियम 65 के अनुसार, प्राप्त दरों का प्रचलित बाजार दरों के संदर्भ में मूल्यांकन करना अनिवार्य था। वित्त विभाग ने भी प्राप्त सबसे कम दरों के संबंध में दर विश्लेषण एवं दर औचित्यकरण करने का निर्देश दिया था (जनवरी 2023)।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग ने प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए कार्यों की न्यायोचित लागत का आंकलन किया एवं संबंधित पैकेजों में प्राप्त निम्नतम बोलियों को उचित पाया, क्योंकि ये कार्यों की आंकलित न्यायोचित लागत से 0.01 से 0.02 प्रतिशत तक कम थी।

विभाग ने, तथापि, कार्यों की न्यायोचित लागत के पहलू को अनदेखा कर दिया एवं उक्त उपापन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया (मार्च 2023)। विभाग द्वारा लिया गया निर्णय, संदर्भित नियम तथा वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत था।

बाद में, मई 2022 में पीएचईडी द्वारा एक नया बीएसआर (बीएसआर 2022) जारी किया गया। इसलिए, संशोधित चार कार्यात्मक पैकेजों के लिए निविदाएं पुनः आमंत्रित करने से पहले, विभाग को इस बीएसआर के आधार पर पैकेजों के अनुमान तैयार करने एवं तदनुसार संबंधित तकनीकी स्वीकृतियों को संशोधित करने की आवश्यकता थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से, निविदाएं बीएसआर 2021 पर आधारित अनुमानों के अनुसार ही पुनः आमंत्रित की गई (मई 2023)। इस बार भी निम्नतम बोलीदाताओं के टीपी, बीएसआर 2021 पर आधारित संबंधित अनुमानों से 23.73 से 28.07 प्रतिशत अधिक थे। प्राप्त सबसे कम दर के प्रस्ताव, जो बीएसआर 2023 के अनुसार आंकलित कार्य की न्यायोचित लागत से केवल 4.21 से 5.30 प्रतिशत अधिक थे, को अनुमोदित करना तथा उसके साथ आगे बढना आवश्यक था, लेकिन विभाग ने, एक बार फिर, न्यायोचित लागत निर्धारण की अनदेखी करते हुए, उपापन प्रक्रिया को जनवरी 2024 में निरस्त कर दिया।

इसके बाद, अप्रैल 2023 में पीएचईडी की नई बीएसआर (बीएसआर 2023) जारी की गयी। विभाग ने भागीदारी बढ़ाने के लिए परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित किया एवं तीसरी बार निविदाएं फिर से आमंत्रित कीं (मार्च 2024), लेकिन इस बार भी अनुमान/टीएस को पीएचईडी की नवीनतम बीएसआर (बीएसआर 2023) के आधार पर संशोधित नहीं किया गया। बोलीदाताओं को गैर-प्रतिक्रियाशील घोषित किए जाने, बोलीदाताओं द्वारा बोली वैधता अवधि का विस्तार न किए जाने तथा बोलीदाताओं द्वारा अदालत में चले जाने जैसे कारणों से निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

इस प्रकार, न्यायोचित लागत निर्धारण के पहलू की अनदेखी करने के परिणामस्वरूप निविदाएं निरस्त हो गई एवं कार्य आवंटित नहीं हो सके (सितंबर 2024 तक), जिससे बारां, झालावाड़

और कोटा जिलों के 1,402 गांवों के 1,52,437 ग्रामीण परिवारों को तीन वर्ष से अधिक समय तक जेजेएम के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में संदर्भित 14 अन्य परियोजनाओं की अनुमानित लागत विभाग द्वारा बीएसआर 2021 के आधार पर निर्धारित की गई थी, तथा इन सभी परियोजनाओं की निविदाएं भी एल-1 बोलीदाताओं की टीपी वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मानते हुए निरस्त कर दी गई। अतः शेष 14 परियोजनाओं में भी निविदाओं के निरस्तीकरण के गलत निर्णय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि वर्तमान में चार पैकेजों (पैकेज- I, II, IV और V) के लिए दर बोली, एफसी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, और इन पैकेजों के लिए कार्य आदेश जारी करने की अनुमति हेतु एजेंडा वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान निविदा में निम्नतम बोलीदाता के टीपी, बीएसआर 2021 पर आधारित संबंधित अनुमानों से 9.76 प्रतिशत से 14.88 प्रतिशत अधिक रहे, जो पिछली निविदाओं के निम्नतम बोलीदाताओं के टीपी से अत्यधिक कम थे (37.03 प्रतिशत से 37.21 प्रतिशत तथा 23.73 प्रतिशत से 28.07 प्रतिशत) तथा ये अधिक किफायती और विवेकपूर्ण प्रकृति के हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को अधिक लाभ प्राप्त होगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं न्यायोचित लागत का आंकलन किया था, तथा समझौता-वार्ता में प्रस्ताव, प्रचलित बाजार दरों के आधार पर स्वयं वित्त विभाग द्वारा आंकलित न्यायोचित लागत से कम ही प्राप्त हुआ था। आगे, विभाग का यह तर्क कि प्राप्त नवीन दर बोलियाँ अधिक किफायती एवं विवेकपूर्ण प्रकृति की हैं, संशोधित तकनीकी स्वीकृति की अनुपलब्धता में नहीं जांचा जा सकता है। तथ्य यह रहता है कि परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना के लिए कार्य आदेश, जो जिला झालावाड़, कोटा एवं पीवीटीजी गांवों वाले आकांक्षी जिला बारां के 1,402 गांवों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत थे, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी भी प्रक्रियाधीन हैं।

7.1.2 निर्धारित अवधि के बाद भी बिना किसी औचित्य के निविदाओं का अन्तिमीकरण न होना

आरटीपीपी नियमावली, 2013 के नियम 40 (2) यह प्रावधित करता है कि उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख से 40 दिनों एवं 50 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए, जहाँ बोली क्रमशः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता की वित्तीय शक्तियों के दायरे में आती हो। यदि संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निविदाओं को निर्णय के लिए, औचित्यता के साथ अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, पीएचईडी की शक्ति अनुसूची (मार्च 2017) के अनुसार, अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्रमशः ₹ 120 लाख और ₹ 250 लाख तक की निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम थे।

अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, खण्ड बारां के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 'आरडब्ल्यूएसएस भोयल तहसील शाहबाद का संवर्धन' कार्य हेतु, एक साल

की दोष देयता अवधि सहित, ₹ 123.08 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी (मार्च 2021)।

- अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त बारां द्वारा ₹ 114.64 लाख (बीएसआर 2020 पर आधारित) लागत की निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 2022)। विभाग ने एल-1 बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की, जिसमें ₹ 145.41 लाख (अनुमानित लागत से 26.84 प्रतिशत अधिक टीपी) का प्रस्ताव एल-1 बोलीदाता को दिया गया (07 अक्टूबर 2022), लेकिन एल-1 बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

  इसके उपरांत, वही प्रस्ताव एल-2 बोलीदाता को दिया गया (12 अक्टूबर 2022), जिसने प्रस्तावित दर पर कार्य करने के लिए (13 अक्टूबर 2022) सहमति दे दी। इसके बावजूद, विभाग ने बिना किसी कारण के एल-2 बोलीदाता को कार्य आदेश जारी नहीं किया एवं 21 नवंबर 2022 को एल-2 बोलीदाता से बोली वैधता अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया, क्योंकि यह 23 नवंबर 2022 को समाप्त होने वाली थी। एल-2 बोलीदाता ने बोली वैधता अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। तथापि, विभाग ने फिर से बिना किसी औचित्य के उसे कार्य आदेश जारी नहीं किया एवं विस्तारित बोली वैधता अवधि (31 दिसंबर 2022) के समाप्त होने से पहले (28 दिसंबर 2022) फिर से उससे बोली वैधता अवधि को 28 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। अंततः, इस बढ़ाई गई बोली वैधता अवधि में भी संवेदक को कार्य आदेश जारी नहीं किया गया।

- तत्पश्चात, मई 2022 में बीएसआर 2022 जारी की गई। बीएसआर 2022 के आधार पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित करने के स्थान पर, विभाग ने में बीएसआर 2020 के आधार पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित किया (अप्रैल 2023), जिसकी लागत ₹ 114.64 लाख थी। विभाग ने एल-1 बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की (अगस्त 2023), जिसमें उसने एल-1 बोलीदाता को राशि ₹ 134.06 लाख का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मूल्य ₹ 140.42 लाख (अनुमानित लागत से 22.49 प्रतिशत अधिक) पर रखा। इसलिए, विभाग ने एल-2 बोलीदाता को वही मूल्य प्रस्तावित किया (29 अगस्त 2023), जिस पर वह 31 अगस्त 2023 को सहमत हो गया। हालांकि, विभाग ने, पिछली निविदाओं के प्रवृत्ति को अपनाते हुए, उसे कार्य आदेश जारी नहीं किया। इसके पश्चात्, विभाग एल-2 बोलीदाता से बार-बार बोली वैधता अवधि का विस्तार कराता रहा, लेकिन उसे कार्य आदेश जारी करने से बचता रहा। अंततः, एल-2 बोलीदाता ने, पाइप की लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए, 29 जनवरी 2024 को बोली वैधता अवधि बढ़ाने के विभाग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

- तीसरी बार, विभाग ने बीएसआर 2023 के अनुसार अनुमान में संशोधन किए बिना, ₹ 114.64 लाख की लागत (बीएसआर 2020 पर आधारित) पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित किया (जून 2024)। इस बार, केवल एक बोलीदाता योग्य पाया गया। विभाग ने (जुलाई 2024) बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की, जिसमें उसने अपना मूल्य ₹ 139.51 लाख तक कम कर दिया। यह राशि विभाग द्वारा आंकलित न्यायोचित

लागत से 0.39 प्रतिशत कम थी, तथा समिति ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी से बोली को अनुमोदित करने की सिफारिश की (जुलाई 2024)।

तीसरी बार भी, समझौता-वार्ता से प्राप्त दरें न्यायोचित दरों से 0.39 प्रतिशत कम आई एवं अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी, वृत्त-बारां ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, क्षेत्र-कोटा से बोली को अनुमोदित करने की सिफारिश की (जुलाई 2024); तथापि, विभाग ने कार्य आदेश जारी करने (जून 2025) में एक वर्ष का समय लिया, वो भी लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बाद। आगे, कार्य आदेश की ₹ 139.52 लाख की राशि, अप्रैल 2023 की एनआईटी (दूसरी बार) के अन्तर्गत स्वीकृत ₹ 134.06 लाख के प्रति-प्रस्ताव से अधिक थी। इस प्रकार, बोली के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में समय पर कार्रवाई न करने के कारण, न केवल आदिवासी ब्लॉक शाहाबाद के गाँव भोयल के लिए महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूएस योजना प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी से चार वर्ष से अधिक समय तक विलंबित रही, बल्कि राज्य सरकार को ₹ 5.46 लाख की अतिरिक्त राशि का बोझ भी उठाना पड़ा।

इस प्रकार, संवेदकों द्वारा विभाग का प्रति-प्रस्ताव स्वीकार किए जाने एवं बार-बार बोली वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद बोली का अन्तिमीकरण न करने की कार्रवाई समझ से परे है तथा निविदाओं के अन्तिमीकरण के प्रति विभाग की मंशा पर संदेह उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, यह कार्रवाई आरटीपीपी नियमावली के नियम 40 (2) का भी उल्लंघन थी, जिसमें निविदाओं के अन्तिमीकरण हेतु एक निश्चित समयावधि (70 दिन) निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जून 2024 में आमंत्रित निविदाओं के संबंध में कार्य आदेश जुलाई 2025 में जारी कर दिया गया। यह भी कहा गया कि वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि समझौता-वार्ता नियम के अनुसार की जाए अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जाए। चूँकि समझौता-वार्ता पहले ही हो चुकी थी, इसलिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुनः समझौता-वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तीनों बार विभाग समझौता-वार्ता के माध्यम से न्यायोचित लागत से निम्न प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल रहा था, एवं बोलीदाताओं ने विभाग द्वारा दिए गए इन प्रति-प्रस्तावों को, बोली वैधता अवधि का विस्तार करते हुए, स्वीकार कर लिया था। लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि विभाग ने अंततः एक वर्ष से अधिक समय के विलंब के बाद, तीसरी बार की समझौता-वार्ता के दौरान प्राप्त लागत (₹ 139.52 लाख) के समान राशि का ही कार्य आदेश जारी किया।

7.2 जल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने 28 चयनित गांवों की 26 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) के अंतर्गत पीएचईडी द्वारा निर्मित ग्राम-स्तरीय अवसंरचना की जांच की। आरडब्ल्यूएसएस के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

7.2.1 चयनित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में देरी

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज़ 7.5.2 के अनुसार एकल ग्राम योजना (एसवीएस) और बहु ग्राम योजना (एमवीएस) की पूर्णता हेतु क्रमशः 18 महीने एवं 36 महीने की अधिकतम समयावधि निर्धारित की गई थी। आगे, पीएचईडी के मुख्य अभियन्ता (विशेष परियोजना) ने अपने परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2021 के माध्यम से, जेजेएम के अंतर्गत अनुमोदित ₹ 50 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाली जल आपूर्ति परियोजना की पूर्णता के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी।

चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन (नवंबर 2024) निम्नानुसार हैं:

- चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से केवल आठ निर्धारित समय के भीतर पूर्ण हुई, दो 447 से 744 दिनों की देरी से पूर्ण हुई, एवं शेष 16 योजनाओं का कार्य, उनकी निर्धारित पूर्णता तिथि से 11 से 38 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी, प्रगतिरत ही रहा।

- चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस के लिए कार्य आदेश जारी करने में पीएचईडी को एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदन की तारीख से 102 से 431 दिनों का समय लगा।

- 10 पूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, पाँच[3] आरडब्ल्यूएसएस में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होना बकाया था तथा तीन[4] आरडब्ल्यूएसएस में अंतिम बिल का भुगतान लंबित था।

- 16 अपूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, 13[5] आरडब्ल्यूएसएस में, विलंब की अवधि एवं कारणों का आंकलन करने के लिए बाधा पंजिकाए संधारित नहीं की गई थी।

- 16 अपूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, 11[6] आरडब्ल्यूएसएस में, तदन्तर हुए विलंब के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समय वृद्धि जारी नहीं की गई। परिणामस्वरूप, कार्य अनुबंध प्रभावी नहीं रहे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों, बोलीदाताओं की कम भागीदारी, तथा संवेदको द्वारा धीमी प्रगति के कारण योजनाओं में विलंब हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाहरी कारक विभाग को योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। सरकार के हितों की रक्षा के लिए

---

[3] जोगा, खाराबेरा पुरोहितान, खेजड़ली खुर्द, जालेली चम्पावतां तथा जाटियावास।

[4] प्रेमपुरा, बलदेवपुरा एवं बटावदा, तथा जोगा।

[5] जावली, रतावाली, रतनपुरा, प्रेमपुरा, 21 एलएलडब्ल्यू, 1 सीएलडी, आलम का गाँव, डोरनारी, निम्बाड़ा, भूतगाँव, जामोतड़ा, पांडुरी तथा डेरना।

[6] मऊ, बलदेवपुरा एवं बटावदा, 1 सीएलडी, आलम का गाँव, धाकड़ी, डोरनारी, निम्बाड़ा, भूतगाँव, जामोतड़ा, पांडुरी तथा डेरना।

विभाग की ओर से पर्याप्त आयोजना, प्रभावी अनुबंध प्रबंधन एवं समय पर सुधारात्मक उपाय आवश्यक थे।

7.2.2 क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किया जाना

संवेदक के साथ निष्पादित अनुबन्ध के क्लॉज़ 2 के अनुसार, संवेदक, कार्य की अनुपातिक प्रगति बनाए रखने में विफल रहने पर क्षतिपूर्ति (एलडी) का भुगतान करने एवं शेष कार्य को किसी अन्य संवेदक से पूर्ण कराने में हुए अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए उत्तरदायी था।

यह देखा गया कि विभाग ने चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से 18 में, कार्यों की *अनुपातिक* प्रगति बनाए न रखने पर, अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत, संवेदको पर राशि ₹ 16.81 करोड़[7] ***(परिशिष्ट-5)*** की एलडी आरोपित नहीं की।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि एलडी हेतु 'डिपॉजिट V' में आंशिक राशि रोकी गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को समय पर एलडी हेतु राशि रोकनी चाहिए थी, परन्तु निर्धारित पूर्णता तिथि व्यतीत जाने के उपरान्त भी पूरी राशि नहीं रोकी गई।

7.2.3 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा पूर्व-निरीक्षण के बिना संवेदकों को अनियमित भुगतान

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करने हेतु आरडब्ल्यूएसएस का निष्पादन, योजनाओं के प्रकार के आधार पर, बहु-विषयक अभियांत्रिकी गतिविधियों[8] को सम्मिलित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाएँ अपनी पूर्ण डिज़ाइन आयु तक संचालित हों एवं अभिप्रेत सेवाएँ प्रदान करें, यह महत्वपूर्ण है कि निर्माण एवं क्रय की गई अन्य सामग्री, निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों तथा उचित गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँ। इस दायित्व को पूरा करने में पीएचईडी की सहायता के लिए, जेजेएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों में, जेजेएम की सहायक गतिविधियों के अंतर्गत एसडब्ल्यूएसएम द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को सूचीबद्ध करने का प्रावधान है।

जेजेएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 6 के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान से पूर्व सभी निष्पादित कार्यों का तृतीय-पक्ष निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण अनिवार्य था। समस्त आरडब्ल्यूएसएस के अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के क्लॉज़ 32 के अंतर्गत सम्मिलित शर्त के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा रनिंग भुगतान जारी करने के अनुरोध पर, वीडब्ल्यूएससी, पीएचईडी तथा टीपीआईए द्वारा साइट का संयुक्त निरीक्षण किया जाना था। चर्चा कर सहमति से तय किए गए बिंदुओं को इस उद्देश्य हेतु बनाए गए एक पृथक 'कार्य रजिस्टर' में दर्ज एवं हस्ताक्षरित किया जाना था। इसके आधार पर, पीएचईडी को आगे भुगतान की प्रक्रिया हेतु माप पुस्तिका (एमबी) में माप दर्ज करना था।

---

[7] कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को शेष कार्य (₹ 16814.77 लाख) का 10 प्रतिशत।

[8] सिविल/जन स्वास्थ्य, यांत्रिक, विद्युत, यंत्रण, जल संसाधन/हाइड्रोलिक अभियांत्रिकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच की गई 26 आरडब्ल्यूएसएस में संवेदको को (दिसंबर 2024 तक) ₹ 122.31 करोड़ की राशि, टीपीआईए द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन के उपरोक्त प्रावधान का पालन किए बिना ही भुगतान की गई थी ***(परिशिष्ट-6)***। यह दर्शाता है कि संवेदको को रनिंग बिलों का भुगतान करने से पूर्व, निर्माण कार्य तथा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि टीपीआईए को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था तथा वे सितंबर 2023 में पूरी तरह से सक्रिय हुईं थी। आगे, टीपीआईए की नियुक्ति/सक्रियता से पूर्व निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए संबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया था। साथ ही, टीपीआईए की अनुपस्थिति में राज्य-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ ने समय-समय पर ऐसे कार्यों की गुणवत्ता की जांच की थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टीपीआईए द्वारा निरीक्षण, स्वतंत्र पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निष्पादित कार्य तथा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री, आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। फरवरी 2023 में टीपीआईए की नियुक्ति एवं सितंबर 2023 में उनका पूर्ण रूप से सक्रिय होना, छः माह से अधिक के विलम्ब को दर्शाता है, जिसके दौरान जेजेएम के काफी मात्रा में कार्य, पर्याप्त स्वतंत्र गुणवत्ता जांच के बिना ही निष्पादित गए। विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी सौंपना, कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र सत्यापन प्राप्त करने के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

7.2.4 चयनित आरडब्ल्यूएसएस में बीमा कवर उपलब्ध न कराना/नवीनीकरण न कराना

संविदा की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर संविदा अवधि की समाप्ति तक मानव शक्ति एवं उपकरणों के लिए न्यूनतम बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। प्रीमियम का समय पर भुगतान करने तथा परिस्थिति उत्पन्न होने पर दावे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संवेदक की ही थी।

चयनित 26 योजनाओं में से मात्र दो आरडब्ल्यूएसएस में ही आवश्यक बीमा कवर लिया गया था। तीन प्रकरणों में, विभाग ने बीमा की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई; इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि बीमा कराया गया था या नहीं। दो प्रकरणों में, विभाग को बीमा कवर के पहलू की जानकारी ही नहीं थी। शेष 19 प्रकरणों में बीमा कवरेज लिया ही नहीं गया। इस आवश्यकता को लागू करने में विफल रहने से पीएचईडी ने न केवल संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया, बल्कि वह नियोजित मानव-शक्ति एवं प्रयुक्त उपकरणों से जुड़े जोखिमों को भी कम करने में विफल रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि, संविदा की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, मानव शक्ति और उपकरणों के लिए बीमा कवर प्राप्त करने एवं उसका नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी संवेदक की थी। साथ ही यह भी बताया गया कि इस संबंध में संवेदकों को नोटिस जारी किए गए हैं। चयनित गांवों में योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी थीं, एवं इन कार्यों में संविदा अवधि के दौरान किसी भी दुर्घटना, हानि या दावे की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि संविदा की शर्तों के अनुसार बीमा कवरेज प्राप्त करने एवं उसके नवीनीकरण की जिम्मेदारी संवेदक की हो सकती है, फिर भी यह विभाग का दायित्व था कि वह कार्य निष्पादन की अनुमति देने से पूर्व इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, मात्र इस आधार पर कि कोई प्रतिकूल घटना सूचित नहीं हुई है, इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन न होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

7.2.5 पाइप नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग नहीं किया जाना

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों (दिसंबर 2022) के अनुसार, निर्मित पाइप नेटवर्क एवं अन्य परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की जानी आवश्यक थी।

चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से पूर्ण हो चुकी नौ आरडब्ल्यूएसएस के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि चयनित किसी भी आरडब्ल्यूएसएस में पाइप नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि तकनीकी, लॉजिस्टिक एवं संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण सभी योजनाओं में जीआईएस मैपिंग निष्पादित नहीं की जा सकी। तथापि, शेष परिसंपत्तियों की 100 प्रतिशत जीआईएस मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7.2.6 अनियमित भुगतान

संविदा की विशेष शर्तों के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रावधित करती है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए संवेदक द्वारा आपूर्तित/स्थापित सामग्री अथवा किए गए कार्य का विवरण दर्शाता हुआ मूल खरीद बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य था। चयनित पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान, क्रय की गई सामग्री के संबंध में जाली/निरस्त बीजक के आधार पर भुगतान के निम्नलिखित प्रकरण देखे गए:

7.2.6.1 'ग्राम खुईयाला-बांधा में आरडब्ल्यूएसएस से पाइपयुक्त डब्ल्यूएसएस में रूपांतरण' कार्य में मनगढ़ंत सामग्री बीजक की प्रस्तुति के आधार पर एवं सामग्री बीजक प्रस्तुत किए बिना भुगतान

अधिशाषी अभियन्ता, जिला खण्ड, जैसलमेर के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2024) में प्रकट हुआ कि एक चयनित कार्य- 'जेजेएम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के ब्लॉक सम के ग्राम खुईयाला बांधा में आरडब्ल्यूएसएस का पाइपयुक्त डब्ल्यूएसएस में रूपांतरण' में, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद स्टॉक रजिस्टर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा ने क्रय गई सामग्री के भुगतान संबंधी पहलु की जांच कार्य की माप पुस्तिकाओं/रनिंग बिलों से की एवं पाया कि संवेदक ने कार्य में 1,11,220 मीटर एचडीपीई/डीआई पाइप का उपयोग किया ***(परिशिष्ट-7)***। तथापि, विभागीय अभिलेखों में मात्र 28 क्रय बीजक मिले, जिनमें 52,176 मीटर पाइप का ही उल्लेख पाया गया।

लेखापरीक्षा ने इन 28 क्रय बीजकों की जीएसटी ई-इन्वॉइस सत्यापन मोबाइल एप्लिकेशन (एनआईसी एप्लिकेशन) के माध्यम से जाँच की एवं पाया कि इनमें से 12 क्रय बीजक, जिनमें 18,180 मीटर पाइप दर्शाए गए थे, मनगढ़ंत थे क्योंकि इन्हें कार्य में प्रयुक्त अन्य ई-बीजकों में कांट-छाँट कर बनाया गया था। इस प्रकार, संवेदक को कार्य के निष्पादन (आपूर्ति, बिछाना, परीक्षण तथा कमीशनिंग) हेतु इन बीजको के आधार पर किया गया ₹ 1.33 करोड़ की राशि का भुगतान संदिग्ध रहा ***(परिशिष्ट-8)***।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर, जिला खण्ड-जैसलमेर के अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया (नवंबर 2024) कि कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्री के मूल बीजक संवेदक से प्राप्त कर लिए गए हैं, एवं बोगस/जाली बीजकों के आधार पर संवेदक को कोई भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर के समर्थन में 88,333 मीटर पाइपों के 48 बीजकों की प्रतियां संलग्न की गई थीं। यह भी अवगत कराया गया कि इन पाइपों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई थी।

भुगतान करने के उपरांत संवेदक से बीजक प्राप्त करने की विभाग की कार्रवाई स्वयं यह सिद्ध करती है कि संबंधित बीजक प्राप्त किए/जांचे बिना ही भुगतान जारी कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त प्रस्तुत 48 बीजकों की पुनः जांच की तथा पाया कि इनमें से आठ बीजकों में पाइपों के गंतव्य स्थल को मिटाया हुआ था। आगे यह भी प्रकट हुआ कि चार बीजकों के संबंध में जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल पर दर्ज पाइपों का गंतव्य स्थल (रामसर), कार्य स्थल (खुईयाला) से भिन्न था। शेष चार बीजकों में ई-वे बिल संख्या का उल्लेख नहीं था, अतः लेखापरीक्षा आपूर्तित पाइपों के गंतव्य स्थल का पता नहीं लगा सकी ***(परिशिष्ट-9)***। इस प्रकार, इन आठ बीजकों के आधार पर संवेदक को किया गया ₹ 0.67 करोड़ का भुगतान पुनः संदिग्ध रहा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को उत्तर के साथ 22,887 मीटर[9] पाइपों के बीजक उपलब्ध नहीं कराए गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि तत्काल आवश्यकता के कारण उस समय स्व-प्रमाणित बीजक अस्थायी रूप से स्वीकार किए गए थे, तथा परियोजना में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण एवं सत्यापन भी किया गया था। खुईयाला के कार्य के चार बीजकों के संबंध में यह कहा गया कि ये बीजक अन्य कार्यों से संबंधित थे एवं त्रुटिवश इस योजना में प्रस्तुत कर दिए गए थे। तथापि, दोषी फील्ड अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शेष 22,887 मीटर पाइपों के मूल बीजक अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पत्रावली में 12 जाली/मनगढ़ंत बीजकों की उपस्थिति, क्रय की गई सामग्री की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए गए 48 बीजकों में से, खुईयाला के कार्य से संबंधित चार बीजकों तथा बिना ई-वे बिल संख्या वाले चार बीजकों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इन दस्तावेजों के समर्थन में मूल बीजक प्रस्तुत नहीं किए गए।

[9] 1,11,220 मीटर-88,333 मीटर।

7.2.6.2 'बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना, चरण-II, भाग-डी' में जाली/निरस्त/अन्य संवेदक के बीजक के आधार पर भुगतान

विभाग ने जेजेएम के अन्तर्गत संवेदक को 'बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना, चरण II, भाग-डी' का एक कार्य प्रदान किया (मार्च 2022)। इस कार्य में भुगतान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः

(i) जाली बीजकों के आधार पर भुगतान

लेखापरीक्षा ने सामग्री के बीजकों का जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ नमूना-सत्यापन किया तथा पाया कि 10 बीजक जाली (बोगस) थे क्योंकि इन बीजकों पर अंकित बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन), उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित वास्तविक आईआरएन से भिन्न थीं। सामग्री के इन जाली बीजकों के आधार पर, संवेदक ने 21वें रनिंग बिल (04 अक्टूबर 2024 तक) तक राशि ₹ 0.86 करोड़ के भुगतान का दावा किया एवं प्राप्त किया ***(परिशिष्ट-10)***।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि संवेदक को मूल बीजक प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, एवं अब संवेदक द्वारा बीजक प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत किए गए बीजकों सहित, सत्यापन के लिए जीएसटी विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ii) निरस्त बीजक के आधार पर भुगतान

संवेदक ने राशि ₹ 0.06 करोड़[10] का भुगतान प्राप्त करने के लिए कार्य में एक सामग्री बीजक[11] का उपयोग किया। जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ई-वे बिल पोर्टल पर इस बीजक का सत्यापन करने पर पाया गया कि बीजक तथा उससे संबंधित ई-वे बिल निरस्त कर दिए गए थे; इसके बावजूद, संवेदक को इस बीजक के आधार पर भुगतान जारी कर दिया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि क्रय बीजक तथा संबंधित ई-वे बिल प्रक्रियात्मक कारणों से निरस्त कर दिए गए थे। हालांकि, आपूर्ति उचित रूप से प्राप्त हुई थी, एवं भुगतान कार्यस्थल पर प्राप्त सामग्री की मात्रा के सत्यापन के बाद ही किया गया था। इसकी सूचना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-2बी) में भी दी गई थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक निरस्त बीजक तथा ई-वे बिल के आधार पर सामग्री का क्रय एवं परिवहन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 तथा सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 का खंडन करता है, जिसके अंतर्गत, माल की आपूर्ति एवं परिवहन के

---

[10] {₹ 187 प्रति मीटर (पाइप की दर) * 3561 (रंनिंग मीटर में मात्रा) *0.95 (95 प्रतिशत भुगतान हेतु)} (-) ₹ 11,260 (1.78 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)।

[11] एचडीपीई पाइप 75 मिमी पीई-80 पीएन-6 हेतु बीजक संख्या JPLLP/23-24/64 दिनांक 27 मई 2023 (मै. जयन्त प्राईम पोलीमर्स)।

लिए चालान तथा ई-वे बिल अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर के समर्थन में विभाग को राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग से लेनदेन की पुष्टि करना आवश्यक है।

(iii) अन्य संवेदक के बीजकों की प्रतियों के आधार पर भुगतान

सामग्री बीजकों की नमूना-जांच में यह प्रकट हुआ कि डीआई पाइपों के क्रय से संबंधित 25 बीजक एक भिन्न संवेदक के नाम पर थे, जिसका स्थायी खाता संख्या (पीएएन), जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) तथा एए-श्रेणी संवेदक पंजीकरण संख्या (एए-सीसीआरएन) उस संवेदक से भिन्न थे, जिसे इन बीजकों के आधार पर ₹ 4.10 करोड़ का भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट-11)***।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि संवेदक की ओर से बजटीय बाधा के कारण, सामग्री एक सहयोगी फर्म के माध्यम से क्रय की गई थी, यद्यपि सामग्री का उपयोग उसी परियोजना में किया गया था। तथापि, दोषी फील्ड अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

एक सहयोगी कंपनी के माध्यम से क्रय करने का तर्क, जैसा कि उत्तर में उल्लेखित है, मान्य नहीं है, क्योंकि जीएसटी कानून के अन्तर्गत ये दोनों फर्में पृथक इकाईयाँ हैं, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट को सहयोगी कंपनी ने जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16(2)(ब)[12] का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से प्राप्त किया हो सकता है, भले ही सामग्री का उपयोग उसी कार्य में किया गया हो।

7.2.6.3 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' में जाली बीजकों के आधार पर भुगतान

विभाग ने (जुलाई 2021) पीएचईडी खण्ड-आबू रोड़ के अधिकार-क्षेत्र में एक संवेदक को जेजेएम के अंतर्गत 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' कार्य आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने कार्य में प्रयुक्त डीआई, के-7, 150 मिमी पाइपों के क्रय के सम्बन्ध में संवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री बीजकों की नमूना-जांच की एवं पाया कि चार बीजकों[13] पर 12 जून 2022 की तिथि अंकित थी, जबकि जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट पर इन बीजकों के सत्यापन पर दो अन्य तिथियाँ (05 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022) पाई गई। विभाग द्वारा इन क्रय बीजकों के आधार पर संवेदक को राशि ₹ 0.31 करोड़ का भुगतान किया गया। यह भुगतान करते समय उचित जाँच एवं यथोचित सावधानी के अभाव को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि इन चार में से एक बीजक उसी संवेदक द्वारा एक अन्य कार्य (जेजेएम के अंतर्गत पीडब्ल्यूएस, ग्राम वसदा) में मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था एवं बाद में,

---

[12] कोई भी पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त न कर लिए हों।

[13] मै. लक्की इंटरप्राइजेज द्वारा जारी बीजक संख्या 173, 174, 175 तथा 182 ।

तिथि में परिवर्तन कर 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' कार्य में पुनः प्रस्तुत कर दिया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि संवेदक को योजना के सभी सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं तथा निविदा दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तों तथा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह भी अवगत कराया गया कि विभाग ने सभी सामग्री को अच्छी स्थिति में प्राप्त करने तथा प्रणाली की कमीशनिंग होने के उपरान्त ही भुगतान किया था, एवं इस प्रकार, संवेदक को कोई अदेय वित्तीय लाभ नहीं दिया गया।

तथ्य यह रहता है कि एक ही बीजक का दो विभिन्न कार्यों में उपयोग करने से, प्राप्त वास्तविक सामग्री की तुलना में अधिक मात्रा का भुगतान हो गया, जिससे संवेदक को वित्तीय लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, क्रय बीजकों में तिथियों का जानबूझकर परिवर्तन या हेरफेर करना न केवल अनैतिक है बल्कि कानून का उल्लंघन भी है, जिसके लिए कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

7.2.6.4 पाइपों के मूल क्रय बीजक प्राप्त किए बिना कार्य के लिए भुगतान

विभाग ने (फरवरी 2023) पीएचईडी, खण्ड सोजत सिटी में एक संवेदक को जेजेएम के अंतर्गत 'डब्ल्यूएसएस, गुड़ा राम सिंह' का कार्य राशि ₹ 1.51 करोड़ की लागत पर आवंटित किया। इस कार्य में एचडीपीई/डीआई पाइपलाइन की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा कमीशनिंग सम्मिलित थी। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (अक्टूबर 2023) के अनुसार कार्य में प्रयुक्त पाइपों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.1: 'डब्ल्यूएसएस गुड़ा राम सिंह (सोजत सिटी)' में प्रयुक्त पाइपों का विवरण

क्र. सं.	पाइप का प्रकार	उपयोग की गई मात्रा (मीटर)	चालान के आधार पर भुगतान (₹)	चालान संख्या	पाई गई कमियाँ
1.	जीआई 80 मिमी	1145.0	5,93,110	मूल बीजक/बीजक की छायाप्रति उपलब्ध नहीं	
2.	डीआई के-7 100 मिमी	348.0	5,69,252	All-016 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं। बीजक की छायाप्रति पर ई-वे बिल संख्या उपलब्ध नहीं।
3.	एचडीपीई-80 पीएन-6 75 मिमी	1248	1,59,533	864/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
4.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 90 मिमी	4823	8,46,406	865/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
5.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 110 मिमी	3427	10,33,342	866/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
6.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 125 मिमी	1224	4,25,592	867/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
7.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 140 मिमी	1140	4,92,162	868/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
कुल		**13,355**	**41,19,397**		

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त **तालिका 7.1** से प्रदर्शित होता है कि 'डब्ल्यूएसएस गुड़ा राम सिंह' कार्य में 13,355 मीटर पाइपों के मूल बीजक अभिलेखों में नहीं पाए गए, एवं कार्य में ₹ 0.41 करोड़ का भुगतान मूल बीजकों की छायाप्रतियों के आधार पर किया गया। यहां तक कि 1,145 मीटर जीआई 80 मिमी पाइपों के लिए बीजकों की छायाप्रतियां भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, प्रेषण से पूर्व पाइप निर्माता के स्थल पर किए गए पाइपों के निरीक्षण, पाइपों के लिए किये गए गुणवत्ता परीक्षण के विवरण एवं गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए नमूनों का रजिस्टर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इन विवरणों के अभाव में, क्रय किये गए पाइपों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी, एवं इसलिए, इन पाइपों के लिए किया गया राशि ₹ 0.41 करोड़ का भुगतान भी अनियमित रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) में अवगत कराया कि निष्पादन एवं बिलिंग प्रक्रिया के दौरान, संवेदक ने बीजकों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थीं, जिन्हें, स्थल पर निष्पादन, माप पुस्तिकाओं तथा सामग्री के लेखा अभिलेखों की यथोचित जांच उपरान्त, भुगतान के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था। वर्तमान में, मूल बीजक प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के फील्ड अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और लेखापरीक्षकों को यह सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि भुगतान बिलों के साथ मूल क्रय बीजक, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, तथा सामग्री प्राप्ति की नियम-प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

तथ्य यह रहता है कि सामग्री बीजकों की छायाप्रतियों के आधार पर भुगतान जारी करना, संविदा की विशिष्ट शर्तों की शर्त 14 का उल्लंघन है।

7.2.6.5 एफएचटीसी के लिए संवेदक को अनियमित भुगतान

(i) गाँव खेजड़ली खुर्द में 73 एफएचटीसी

जेजेएम आईएमआईएस रिपोर्टों के अनुसार, चयनित गाँव खेजड़ली खुर्द (जिला-जोधपुर ग्रामीण) में कुल 131 परिवार थे। इनमें से, 73 परिवारों को पूर्व की एक योजना- 'कंटीजेंसी वर्क-डब्ल्यूएसएस खेजड़ली खुर्द' के अन्तर्गत अगस्त 2010 तक एफएचटीसी प्रदान किये जा चुके थे, एवं इस प्रकार, इस ग्राम में जेजेएम के अंतर्गत मात्र शेष 58 परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किये जाने थे।

अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अभिलेखों की जांच में यह प्रकट हुआ कि विभाग ने ग्राम खेजड़ली खुर्द के शेष 58 परिवारों के स्थान पर सभी 131 परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने हेतु जेजेएम के अंतर्गत कार्य का एक संवेदक को आवंटन कर दिया (दिसंबर 2021)। इस प्रकार, ग्राम में पहले से उपलब्ध 73 एफएचटीसी के लिए संवेदक को ₹ 0.72 लाख[14] का भुगतान (जून 2022 तक) संदिग्ध रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि पूर्व की जल आपूर्ति योजना 'कंटिंजेंसी वर्क- डब्ल्यूएसएस खेजड़ली खुर्द' के अंतर्गत ग्राम में कोई एफएचटीसी प्रदान नहीं किये गए थे,

[14] ₹ 993 (टेंडर प्रीमियम घटाने के पश्चात प्रति एफएचटीसी दर)* 73 (एफएचटीसी की संख्या)।

एवं इस योजना के अन्तर्गत कुल व्यय मात्र ₹ 0.22 लाख था। यह भी स्पष्ट किया गया कि एफएचटीसी को आईएमआईएस में मात्र योजना के समावेशन को दर्शाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी जेजेएम पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी एवं विभाग के उत्तर से यह परिलक्षित होता है कि पुरानी योजना के कवरेज के संबंध में विभागीय प्राधिकारियों द्वारा जेजेएम पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज की गई थी।

(ii) ग्राम खाराबेरा पुरोहितान में 548 एफएचटीसी

पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अंतर्गत चयनित ग्राम 'खाराबेरा पुरोहितान' में 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में 548 परिवार थे। इन परिवारों को पहले ही दो पूर्व योजनाओं- 'आरडब्ल्यूएसएस कुड़ी लूनी सतलाना सालावास' (472 एफएचटीसी) एवं '500 एलपीएच क्षमता के आरओ प्लांट की स्थापना एवं कमीशनिंग' (76 एफएचटीसी) के अन्तर्गत अगस्त 2017 तक एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके थे। इसके बावजूद, विभाग ने ग्राम के इन 548 परिवारों को जेजेएम के अन्तर्गत 'लूणी ब्लॉक के गांवों में उपभोक्ता की संपत्ति सीमा तक एफएचटीसी के निर्माण के लिए समानांतर दर अनुबंध' के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया (जुलाई 2020) एवं इन परिवारों को पुनः एफएचटीसी प्रदान करने के लिए राशि ₹ 7.60 लाख का व्यय किया।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, अधिकांश लाभार्थियों ने अवगत कराया (सितंबर 2024) कि उन्हें जेजेएम के क्रियान्वयन से पूर्व ही एफएचटीसी प्रदान कर दिए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (सितंबर 2024) से भी यह पुष्टि हुई कि सत्यापन हेतु चयनित किसी भी लाभार्थी के घर पर कोई नया मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन (एमडीपी) पाइप या नल कनेक्शन स्थापित नहीं किए गए थे।

अतः संवेदक को राशि ₹ 7.60 लाख का भुगतान संदिग्ध माना गया, क्योंकि संवेदक को जेजेएम से पूर्व ही पूर्ण हो चुके कार्य के लिए अदेय लाभ मिला था। इसके अतिरिक्त, एफएचटीसी प्रदान करने के कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़, जिनमें प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृतियाँ, कार्य आदेश एवं माप पुस्तिकाएँ सम्मिलित हैं, भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि पूर्व की अन्य जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए एफएचटीसी को मात्र समावेशन प्रदर्शित करने के लिए आईएमआईएस पर दर्ज किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि एफएचटीसी जेजेएम के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों के माध्यम से प्रदान किए गए थे, तथा दर अनुबंध के तहत केवल 145 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए थे, जिनमें कोई दोहरा भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य के दूसरे एवं अंतिम बिल के अनुसार, प्रति एफएचटीसी औसत लागत ₹ 1,561[15] थी एवं इस लागत से, 145 एफएचटीसी प्रदान करने की कुल लागत केवल ₹ 2.26 लाख बनती है, जो कि 'खाराबेरा पुरोहितान' ग्राम में एफएचटीसी प्रदान करने के लिए उक्त बिल में उल्लिखित ₹ 7.60 लाख से अत्यधिक कम है। इसके अतिरिक्त, ग्राम के लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों ने भी यह पुष्टि की कि लाभार्थियों को एफएचटीसी प्रदान नहीं किए गए हैं।

7.2.7 ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर का अवमानक निर्माण

पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अंतर्गत 'ग्राम डोलिया एवं जाटियावास के लिए पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजना' के लिए जेजेएम की एक योजना के अन्तर्गत जाटियावास (जोधपुर) में 200 किली का ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर (ओएचएसआर) का निर्माण किया गया था (फरवरी 2021)। विभाग ने संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक माना एवं उसे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया (दिसंबर 2021)। संवेदक को अतिरिक्त निष्पादन गारंटी भी लौटा दी गई (मार्च 2022)।

खंड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ कि संविदा अनुबंध की शर्त संख्या 1.11.3 के अनुसार, संवेदक को कार्य में आईएसः12269 मानकों के अनुरूप सीमेंट, अर्थात, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) ग्रेड-53 का उपयोग करना आवश्यक था। जबकि दिनांक 01 अप्रैल 2021 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ओपीसी ग्रेड-43 सीमेंट का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, संविदा अनुबंध की उपरोक्त शर्त के अनुसार, निर्माण की तारीख से 90 दिनों के भीतर सीमेंट का उपयोग न किए जाने की स्थिति में, इसकी गुणवत्ता का एक अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण कराना आवश्यक था, एवं संतोषजनक परीक्षण परिणाम प्राप्त होने तक, इसका उपयोग नहीं किया जाना था।

तथापि, यह पाया गया कि दिनांक 26 फरवरी 2021 को सीमेंट का एक नमूना लिया गया था, जिसके लिए दिनांक 01 अप्रैल 2021 को परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। सीमेंट का निर्माण 26 फरवरी 2021 अथवा उससे पूर्व की तिथि को मानते हुए, विभाग को कार्य में उपयोग हेतु 26 मई 2021 के बाद उसका गुणवत्ता परीक्षण कराना आवश्यक था, लेकिन अभिलेखों के अनुसार, इस तिथि के पश्चात सीमेंट का कोई परीक्षण किया गया। जबकि ओएचएसआर के शीर्ष गुम्बद की सीमेंट का उपयोग करके 05 जून 2021 को कास्टिंग की गयी थी। इस प्रकार, 90 दिनों की वैधता अवधि के बाद, आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण किए बिना सीमेंट का उपयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त ओएचएसआर के निर्माण के संबंध में, प्रयुक्त सीमेंट/स्टील के प्रत्येक बैच के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाण-पत्र एवं सुदृढीकरण कार्य में थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) स्टील बार्स के उपयोग की पुष्टिकारक परीक्षण रिपोर्टें भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त अनुपालन न करना यह इंगित करता है कि जाटियावास ओएचएसआर का निर्माण कार्य अवमानक था, एवं इसलिए, विभाग द्वारा कार्य को संतोषजनक मानने और संवेदक को कार्य

[15] ₹ 44,05,521 (कुल भुगतान)/2,822 (कार्य में उपलब्ध कराई गयी एफएचटीसी की संख्या)।

पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्रवाई औचित्यपूर्ण नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, ओएचएसआर के एक आरसीसी स्तंभ पर एक लंबी ऊर्ध्वाधर दरार (क्षरण दरार) पाई गई, जैसा कि नीचे **चित्र 7.1** में प्रदर्शित है:

चित्र 7.1: जाटियावास ओएचएसआर के आरसीसी स्तम्भ पर लंबी दरार

स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि आरसीसी की प्रत्येक कास्टिंग के लिए क्यूब परीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई थी। यह भी अवगत कराया गया कि दिखाई देने वाला निशान, कास्टिंग के बाद अर्थिंग हेतु जीआई स्ट्रिप लगाने के कारण बना था एवं अब उसकी मरम्मत कर दी गई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिसे एक निशान बताया गया है, वह वास्तव में एक बड़ी दरार है, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट द्वारा पुष्टिकृत है। इसके अतिरिक्त, कार्य में अवमानक सीमेंट के उपयोग के सम्बन्ध में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में अन्य संरचनात्मक क्षय हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रयुक्त सीमेंट/स्टील के प्रत्येक बैच के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाण-पत्र एवं सुदृढीकरण कार्य में टीएमटी के उपयोग की पुष्टिकारक परीक्षण रिपोर्टें उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं कराई गईं।

7.2.8 ग्राम देवली हुल्ला बागड़ी नगर की आरडब्ल्यूएसएस में बोलीदाता को अनुचित लाभ

विभाग ने (मई 2023) में पीएचईडी खण्ड सोजत सिटी, पाली के अधिकार क्षेत्र में 'जेजेएम के अन्तर्गत आरडब्ल्यूएसएस, ग्राम देवली हुल्ला बागड़ी नगर' कार्य का आवंटन किया। कार्य में संवेदक को पाइप के कार्यों (15 अप्रैल 2024 तक) हेतु राशि ₹ 11.72 करोड़ का भुगतान किया गया। पीएचईडी खण्ड करौली में एक जल आपूर्ति योजना के लिए लगाई गई अपनी बोली

के संबंध में एक बोलीदाता ने, बोलियाँ खुलने से पूर्व ही, फरवरी से मार्च 2023 के दौरान, ₹ 2.22 करोड़ रुपये की लागत से 1,39,354 मीटर मात्रा के विभिन्न आकारों के डीआई, के-7 पाइप क्रय कर लिए। बाद में, बोलीदाता ने मई 2023 में पाइपों को खण्ड सोजत सिटी को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, अधिशाषी अभियन्ता, करौली ने अपने पत्र दिनांक 16 जून 2023 के माध्यम से, अधिशाषी अभियन्ता, सोजत सिटी को 'जेजेएम के अन्तर्गत आरडब्ल्यूएसएस गाँव देवली हुल्ला बागड़ी नगर' के कार्य में इन पाइपों का उपयोग करने के लिए अपनी 'अनापत्ति' की सूचना दी। तत्पश्चात, इन पाइपों का उपयोग खण्ड सोजत सिटी के उपरोक्त कार्य में किया गया।

करौली में बोली खुलने से पहले पाइपों का क्रय एवं एनओसी जारी होने से पहले पाइपों का सोजत सिटी में स्थानान्तरण, समग्र निविदा प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करता है।

चूंकि खण्ड सोजत सिटी में कार्य आवंटन से पहले पाइप एक अन्य स्थान (करौली) से प्राप्त किए गए थे, इसलिए संवेदक को कोई गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (क्यूएपी) जारी नहीं किया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रेषण-पूर्व निर्माता के परिसर में पाइपों का निरीक्षण एवं कार्य स्थल पर उनका परीक्षण विभागीय अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, पाइपों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, खण्ड सोजत सिटी के अभिलेखों में पाइपों के मूल बीजक भी नहीं पाए गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि जेजेएम के तहत तात्कालिकता एवं समयबद्ध लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन में विलंब से बचने के लिए आरडब्ल्यूएसएस देवली हुल्ला बागड़ी नगर के कार्य में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित फर्म ने निरीक्षण एजेंसी- एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के बाद, विभिन्न आकारों के डीआई पाइप स्वयं ही क्रय किए थे। इसके अतिरिक्त, निष्पादन के दौरान फील्ड अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल स्तर पर पाइपों की भौतिक गुणवत्ता एवं तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन का सत्यापन किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के स्थान पर केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा आयोजित निजी एजेंसी के परीक्षणों एवं कार्यस्थल स्तरीय जांचों पर निर्भरता विभाग की जवाबदेही को कम करता है तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को दुर्बल बनाता है। इसके अतिरिक्त, कार्य की तात्कालिकता, गुणवत्ता आश्वासन की निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का औचित्य प्रदान नहीं करती।

7.3 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय से यह स्पष्ट हुआ कि निविदाओं को पर्याप्त औचित्य के बिना निरस्त कर दिया गया, जिससे विलम्ब हुआ। अनियमित भुगतान, जाली/निरस्त अथवा किसी अन्य संवेदक के बीजकों की प्रस्तुति एवं सम्बंधित मूल बीजकों के अभाव के उदाहरण, कमजोर वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी को इंगित करते हैं। कार्यों की निम्न गुणवत्ता, जैसे कि ओएचएसआर संरचना में दरारें एवं अनुपयुक्त सामग्री के उपयोग, ने निर्मित परिसंपत्तियों के स्थायित्व तथा सुरक्षा के साथ और समझौता किया है। पूर्व की योजनाओं के अन्तर्गत पहले से ही स्थापित घरेलू नल कनेक्शनों के

लिए संदिग्ध रूप से भुगतान किया जाना संभावित दोहराव को निर्दिष्ट करता है। इन कमियों ने न केवल उपापन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को कमजोर किया, बल्कि ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों का अभिप्रेत लाभ मिलने में भी विलम्ब किया।

7.4 सिफारिशें

- *विभाग निविदा एवं खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर सकता है, जिसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, निरस्तीकरण के उचित कारण दर्ज किए जाएँ तथा अनुबंधों का समय पर अंतिमीकरण किया जाए।*

- *फर्जी दावों को रोकने हेतु बीजक सत्यापन, ई-वे बिल मिलान तथा तृतीय-पक्ष जाँच सहित वित्तीय परीक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सकती है।*

- *निम्नस्तरीय कार्य के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण, पाइप नेटवर्क का जीआईएस मानचित्रण तथा संवेदकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू किया जा सकता है।*

- *जवाबदेही बढ़ाने तथा कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के लिए डिजिटल निगरानी उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है।*

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांकः 22 मार्च 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 23 मार्च 2026